कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2031 /FP/UK/ROAD/40174/2019 :देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/10/2020/एफ0सी0/1029 दिनांकः–25.08.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के पत्रांक 2137/12–1 (2) दिनांक 27.01.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :**	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2.912 हे0 ग्राम जयकण्डी सिविल खसरा न0 278 एवं 1369, मध्ये में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 9,81,880.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)**
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.912 हे0 ग्राम जयकण्डी सिविल खसरा न0 278 एवं 1369, मध्ये में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों की एकल कृषि से बचें।	
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guidelie para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष तें हस्तान्तरणण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना	(ख) इस शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 2.912 है0 सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा इस वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति व खसरा खतौनी की नकल की प्रति संलग्न है। **(सलंग्न–2)** एवं उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.912 हे0 सिविल भूमि को आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रस्ताव उच्च स्तर को पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

	आवश्यक है।	
	(ग) वन मडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.501 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 9,86,157.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
5	राज्य सरकार MDF के बदले 2.00 है0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त DFL का चयन कर उससे संबंधित योजना, नक्शा, के0एम0एल0 फाईल, इत्यादि की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 trees 1 saplings से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state-II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 19,68,037.00 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

9	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का अनुपालन अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्र्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2031/FP/UK/ROAD/40174/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड), रूद्रप्रयाग।

O/C

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।